Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ठेकेदार एवं दो अन्य व्यक्ति (प्राईवेट व्यक्ति) 2 लाख 20 हजार रुपये रिश्वत लेते–देते पकडे**
- **आरोपियों की गाड़ी एवं आफिस से कुल 5 लाख 40 हजार रुपये बरामद**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 अगस्त, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय की तकनीकी शाखा द्वारा विकसित सूत्र–सूचना पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये मायालाल सैनी अधिशासी अभियंता, बहरोड़ पी.एच.ई.डी., प्रदीप कनिष्ठ अभियंता वृत–नीमराना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं ठेकेदार पदमचंद जैन, मलकेत सिंह सुपरवाईजर कम्पनी, प्रवीण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को **2 लाख 20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते–देते पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की तकनीकी शाखा द्वारा विकसित सूत्र सूचना के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वृत–बहरोड़ में करवाये गये निर्माण कार्यो के बकाया बिलों को पास करने की एवज में मायालाल सैनी अधिशासी अभियंता, बहरोड़ पी.एच.ई.डी., प्रदीप कनिष्ठ अभियंता वृत–नीमराना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा फर्म के ठेकेदार पदमचंद जैन (प्राईवेट व्यक्ति) से लाखों रुपये की रिश्वत राशि का लेनदेन होने की संभावना है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में सूत्र–सूचना को विकसित किया जाकर एसीबी जयपुर नगर तृतीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** द्वारा मय टीम सदस्य **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश स्वामी** व अन्य के पोलो विक्ट्री, जयपुर स्थित एक होटल के कमरे/आफिस में ट्रेप कार्यवाही करते हुये मायालाल सैनी अधिशासी अभियंता, बहरोड़ पी.एच.ई.डी., प्रदीप कनिष्ठ अभियंता वृत–नीमराना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं ठेकेदार पदमचंद जैन, मलकेत सिंह सुपरवाईजर कम्पनी व प्रवीण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को 2 **लाख 20 हजार रुपये** रिश्वत लेते–देते पकड़ा है। कार्यवाही के दौरान आरोपियों की गाड़ी से भी **2 लाख 90 हजार रुपये** सहित **कुल 5 लाख 40 हजार रुपये** बरामद हुये हैं। प्रकरण में आरोपियों एवं अन्य संदिग्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जाँच की जा रही है। संदिग्ध आरोपियों के आवास एवं ठिकानों पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा तलाशी अभियान जारी है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।